

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Registrar
S.M. University, Kanpur
Kanpur



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

दिनांक: 30/01/2016

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./अनापत्ति/650/2016

अनापत्ति

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013 एवं शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टीसी, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 29.01.2016 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी श्रीमती उर्मिला देवी मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति, भोली चौराहा, भर्थना, इटावा द्वारा प्रस्तावित श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, आदर्श बिहार, भोली चौराहा, भर्थना, इटावा को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र व संस्कृत विषय तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक: 09.08.2012 के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट इटावा (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के पत्रांक-829/एसटीओ-सीएमओ/2015 दिनांक- 30जून, 2015 आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्राम रमायन, परगना व तहसील भरथना, जिला इटावा स्थित गाटा संख्या 1499ड./0.242 का 1/2 भाग = 0.121हे०, 1503घ./0.174 का 3/8 भाग = 0.0652हे०, 1503ख./0.114हे०, 1493/ख/0.266हे०, 1503ड./0.117हे०, 1503च/0.117हे०, 1502क/0.242हे०, 1493/ग/0.227हे०, 1503छ/0.146हे० कुल 1.289हे० का 1/4 भाग = 0.322हे०, 1499क/0.5100हे० कुल 1.0182हे० पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, सिटी मजिस्ट्रेट इटावा (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक: 30जून, 2015 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पढ़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
7. शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त सम्बद्धता पर प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाचन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते हैं तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, इटावा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक/सचिव, प्रस्तावित श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, आदर्श बिहार, भोली चौराहा, भर्थना, इटावा।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव



छत्रपति शाहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कानपुर, कानपुर-208024

Kanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सूसाका./सम्ब./154/2021

दिनांक: 15/08/2021

शम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (गद्यारोपित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय शम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक 21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, भरथना, इटावा को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत शैक्षिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तीयित योजनान्तर्गत सत्र 2021-22 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन शम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. शैक्षिक सत्र 2020-21 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2021-22 हेतु शम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2020-21 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2021-22 से शम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(02)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय शम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिर्णयवाली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी शम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिर्णयवाली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा शम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस शम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

L.P.

(डा० अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव P-1.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक, श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, भरथना, इटावा को इस आशय से प्रेषित है कि शम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कलेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेंटर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव